# न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 82/2022/अपील/एलआरएक्ट/कैंप कोर्ट बारां
दायरा दिनांक : 17.05.2022
अन्तर्गत धारा : 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

## उनवान

1. मेघराज पुत्र श्री गोरधन जाति मीणा
2. राजेन्द्र पुत्र श्री गोरधन जाति मीणा
3. रामगोप पुत्र श्री गोरधन जाति मीणा
   निवासीगण ग्राम बराना तहसील एंव जिला बारां

...अपीलार्थीगण

## बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां
2. सरपंच ग्राम पंचायत, बराना तहसील एवं जिला बारां

.....रस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक – अपीलार्थीगण
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 1

::निर्णय::

दिनांक 04.07.2025

अपीलार्थीगण ने जिला कलक्टर बारां के आदेश क्रमांक एफ–4(5)(255)राजस्व/10/5610 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2011 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, बारां के द्वारा उप जिला कलक्टर/तहसीलदार बारां एवं सरपंच ग्राम पंचायत बराना की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत ग्राम बराना की आराजी खसरा सं0 386 रकबा 0.08 है0 एवं खसरा सं0 387 रकबा 2.14 है0 किता 2 कुल रकबा 2.22 है0 किस्म बंजड़ भूमि राजकीय भवनों के निर्माण हेतु आरक्षित (सेट–अपार्ट) किये जाने का आदेश दिनांक 21.04.2011 पारित किया गया।

2. अपीलार्थीगण के द्वारा जिला कलक्टर बारां के आदेश दिनांक 21.04.2011 से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि अपीलार्थीगण ग्राम बराना के स्थायी निवासी है तथा अनुसूचित जनजाति में

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

आते हैं। वादग्रस्त बंजड़ भूमि पर अपीलार्थीगण का वर्ष 1989 से निरंतर कब्जा चला आ रहा है तथा इस भूमि पर पूर्व पर अपीलार्थीगण के पिता गोरधन पुत्र श्री किशनचंद मीणा निवासी बराना का कब्जा था तथा उनके फौत होने पर अपीलार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अपीलार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है तथा अनुसूचित जनजाति के हैं, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का प्रथम हक बनता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत आराजी को राजकीय भवनों के निर्माण हेतु सेट अपार्ट करने में त्रुटि की गई है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.04.2011 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त बंजड़ भूमि पर अपीलार्थीगण का वर्ष 1989 से निरंतर कब्जा चला आ रहा है तथा इस भूमि पर पूर्व पर अपीलार्थीगण के पिता गोरधन पुत्र श्री किशनचंद मीणा निवासी बराना का कब्जा था तथा उनके फौत होने पर अपीलार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अपीलार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है तथा अनुसूचित जनजाति के हैं, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का प्रथम हक बनता है। वादग्रस्त आराजी में ही 0.40 है0 भूमि पर अपीलार्थी का कच्चा मकान व टापरियां बनी हुई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत आराजी को राजकीय भवनों के निर्माण हेतु सेट अपार्ट करने में त्रुटि की गई है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.04.2011 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा जिला कलक्टर बारां के आदेश दिनांक 21.04.2011 को न्यायोचित होना प्रकट किया गया। आवंटन आदेश दिनांक 2011 का होने से उक्त आवंटन के विरूद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा वर्ष 2022 में 11 वर्ष पश्चात् पेश की गई है। प्रस्तुत अपील विलम्ब से पेश किये जाने का प्रार्थना–पत्र धारा 5 में अपीलार्थीगण के द्वारा कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि विलम्ब के संबंध में दिन–प्रतिदिन के विलम्ब की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। अतः अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश किये जाने से प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिंदु पर खारिज की जावे।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.04.2011 के विरूद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा अपील 11 वर्ष के विलम्ब से पेश किये जाने से गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्षराकान को सुना जाकर प्रार्थना–पत्र धारा 5

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

का अवलोकन कर मनन किया गया। प्रस्तुत अपील विलम्ब से पेश किये जाने के संबंध में प्रार्थना–पत्र धारा 5 अनुसार कथन किया गया कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2011 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 01.03.2022 को हुई, जब पटवारी हल्का ने कहा कि इस भूमि से तुम्हारा कब्जा हटाओ, तो इसके उपरांत ही दिनांक 31.03.2022 कर आदेश दिनांक 21.04.2011 की नकल प्राप्त की जाकर अपील पेश की गई है। इस प्रकार जानकारी के अभाव में दिनांक 21.04.2011 से दिनांक 30.03.2022 तक की अवधि डिले कण्डोन फरमायी जावे।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर, बारां के द्वारा उप जिला कलक्टर/तहसीलदार बारां एवं सरपंच ग्राम पंचायत बराना की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत ग्राम बराना की आराजी खसरा सं0 386 रकबा 0.08 है0 एवं खसरा सं0 387 रकबा 2.14 है0 किता 2 कुल रकबा 2.22 है0 किस्म बंजड़ भूमि राजकीय भवनों के निर्माण हेतु आरक्षित (सेट–अपार्ट) किये जाने का आदेश दिनांक 21.04.2011 पारित किया गया। प्रश्नगत आराजी के संबंध में अपीलार्थीगण के द्वारा न्यायालय हाजा में अपील 11 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ धारा 5 प्रार्थना–पत्र संलग्न करते हुए अपील के विलम्ब का कोई युक्तियुक्त एवं संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि अपील मियाद के बिन्दु पर स्वीकार किये जाने से पूर्व कानूनन विलम्ब का दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। आर. आर.डी. 14.09.2019 पृष्ठ संख्या 549 में प्रतिपादित है कि *An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainity and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a parties on in action, negligence or laches.* इसी प्रकार आर.आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया गया है कि *Liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay – held , application & appeal are liable to be dismissed.*

8. इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब का कोई युक्तियुक्त एवं संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कण्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी अवधि बाधित होने से इस स्टेज पर पोषणीय नहीं होने से मियाद के बिन्दु पर ही अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा